न्यायालयः – आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर (म०प्र०)

<u>दांडिक प्रकरण क.— 442/15</u> संस्थापित दिनांक— 10.12.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- परमार सिंह उर्फ पिल्लू पुत्र दिमान सिंह यादव, उम्र, 35 वर्ष,
- गौरी पत्नी राजू यादव, निवासी नई वस्ती फतेहाबाद, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक को घोषित</u>)

- 01— अभियुक्त गौरीबाई के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 452, 323, 506 भाग 2 एवं अभियुक्त परमार सिंह के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506 भाग 2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.05.2015 को रात के 09.00 बजे ग्राम फतेहाबाद नई बस्ती चंदेरी में फरियादी ममताबाई को लोक स्थान पर मॉ—बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा ममताबाई को उपहित कारित करने की तैयारी के साथ उसके कमरे में गौरीबाई ने परमार सिंह के साथ प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित करते हुये ममताबई के साथ लात—घूसो व डंडें से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ममताबाई का पित अभियुक्त परमार सिंह करीब एक माह से अलग रह रहा था तथा फरियादिया अपने बच्चों के साथ अलग रह रही थी। दिनांक 03.05.2015 को रात्रि करीबन 09.00 बजे अभियुक्त परमार सिंह अभियुक्त गौरीबाई बेडियां के साथ फरियादी कमरे पर आया और उससे कहा कि तू कमरे से निकल जा मैं गौरीबाई को कमरे में रखूगा, फरियादिया ने मना किया तो अभियुक्त परमार सिंह ने उसे मां'—बहन की बुरी बुरी गालिया दी और गालिया देने से मना करने पर दोनों अभियुक्त ने उसके साथ लात—घुसों व डंडे से मारपीट की जिससे फरियादिया को पूरे शरीर पर मुंदी चोटें आई, फरियादिया बेहोसी की हालत में रात भर कमरे में पड़ी रही। उपरोक्त घटना फरियादिया के लडके

शिवम व आस—पास के लोगों ने देखी थी। दोनों अभियुक्तगण कह रहे थे कि रिपोर्ट करने गई तो जान से मार देंगें। फरियादिया चलने—फिरने में असमर्थ थी तथा पित के डर के कारण रिपोर्ट करने नहीं गई। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट दिनांक 05. 05.2015 को पुलिस थाना चंदेरी में सुबह 11.45 बजे जाकर लेखबद्ध कराई। फरियादिया की रिपोर्ट प्र0पी0 2 लेखबद्ध की गई, उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 139/15 अंतर्गत धारा 452, 324, 323, 294, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजी बद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई तथा बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.01.2017 को फरियादिया ममताबाई ने अभियुक्तगण से राजीनामा करने वाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0सं० का प्रस्तुत किया। अभियुक्तगण पर आरोपित धारा 323, 294, 506 बी भा0दं०वि० शमनीय प्रकृति की होने से फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुये अभियक्तगण को राजीनामे के आधार पर भा0दं०वि० की धारा 294, 323, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त गौरीबाई पर आरोपित धारा 452 भा0दं०वि० राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा के आरोप में अभियुक्त गौरीबाई का विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त गौरीबाई को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या दिनांक 03.05.2015 को रात्रि 09.00 बजे अभियुक्त गौरीबाई ने परमार सिंह के साथ ममताबाई को उपहित कारित करने की तैयारी के साथ उसके कमरे में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया ?
 - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे व अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी ममतबाई (अ०सा० 2) सहित घटना के स्वतंत्र साक्षी आशाबाई (अ०सा० 1) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी ममताबाई (अ०सा० 2) का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त परमार उसका पति है तथा

गौरीबाई उसकी देवरानी है, 7—8 माह पहले रात्रि 8—9 बजे पारिवारिक मन—मुटाव को लेकर उसका अभियुक्तगण से विवाद हो गया था जिस पर अभियुक्तगण ने उसे मॉ—बहन की गालियां दी थी तथा उसके साथ मारपीट की थी और उसे चोटें पहुँचाई थी। फरियादिया के अनुसार उक्त घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 2 उसने पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराई थी जिस पर उसने अपनी अंगूठा निशांनी होना स्वीकार किया है।

- 07— फरियादिया के साथ घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने मारपीट की थी इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है जिससे इस साक्षी की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि घटना दिनांक अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित की थी। अभियुक्तगण के द्वारा घटना दिनांक को रात्रि 8—9 बजे के करीब मिल कर फरियादिया के साथ मारपीट की गई इस संबंध में फरियादी के कथन अखण्डित होने के साथ—साथ उसके उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 से भी होती है। अतः फरियादिया ममताबाई (अ०सा० 2) के कथनों से यह तो प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को उसके साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित की थी
- 08— अभियोजन घटना किस स्थान पर हुई इस संबंध में फरियादिया ने अभियोजन कहानी के विपरीत न्यायालय में कथन देते हुये घटना घर के बाहर की होना बताया है तथा साथ ही पारिवारिक मन—मुटाव के कारण विवाद होना बताया है। फरियादिया ममताबाई (अ०सा० 2) के द्वारा उपरोक्त बिन्दू पर अभियोजन घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु फरियादिया ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि अभियुक्तगण घटना दिनांक को उसके कमरे में घुस आये थे।
- 09— फरियादिया ममताबाई (अ०सा० 2) ने इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि घटना दिनांक को उसके पित ने गौरीबाई के साथ उसके कमरे में प्रवेश कर कमरे से बहार निकलने का कहा था। फरियादिया ममताबाई (अ०सा० 2) का यह स्पष्ट कहना है कि कमरे के अंदर कोई मारपीट या झगडा नहीं हुआ, इस साक्षी के अनुसार झगडा घर के बाहर हुआ था। फरियादिया के अनुसार उसने कमरे के अंदर घुस कर अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने के संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं कराई और न ही इस संबंध में पुलिस को कोई कथन दिये है।
- 10— ममताबाई (अ0सा0 2) घटना में मुख्य आहत् होकर स्वयं फरियादिया है, परन्तु इस साक्षी के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लैस मात्र भी समर्थन नहीं किया गया। फरियादिया स्वयं ही घटना घटित होने का कारण परिवारिक

मन—मुटाव होना बताती है तथा फरियादिया के स्वयं के अनुसार घटना उसके कमरे के अंदर की न होकर उसके घर के बहार की है। अतः फरियादिया ममताबाई (अ०सा० 2) की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादिया ममताबाई (अ०सा० 2) के कमरे में प्रवेश किया। फरियादिया ममताबाई (अ०सा० 2) नक्शा मौका प्र०पी० 3 भी पुलिस द्वारा उसके सामने न बनाना बताती है। घटना के चश्मदीत साक्षी आशाबाई (अ०सा० 2) जो कि फरियादिया की जेठानी है घटना की जानकारी होने से ही इंकार करती है तथा इस साक्षी ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये है।

- 11— परिणामस्वरूप अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक 03.05.2015 को रात्रि 09.00 बजे अभियुक्त गौरीबाई ने परमार सिंह के साथ ममताबाई को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ उसके कमरे में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया।
- 12— फलस्वरूप गौरीबाई पत्नी राजू यादव के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 452 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त गौरीबाई पत्नी राजू यादव को भा०दं०वि० की धारा 452 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13— अभियुक्त गौरीबाई पत्नी राजू यादव के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)